



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-15092025-266157
CG-KA-E-15092025-266157

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4040]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 2025/भाद्र 21, 1947

No. 4040]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 2025/BHADRA 21, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पश्चिम रेलवे निर्माण संगठन)

अधिसूचना

बैंगलुरु, 11 सितंबर, 2025

का.आ. 4155(अ).— एस.ओ. -रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20ई की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल मंत्रालय (दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बैंगलुरु छावनी) सक्षम प्राधिकारी और विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तुमकुर की रिपोर्ट से संतुष्ट होने के बाद, उनके कार्यालय द्वारा एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित और दर्शाई गई भूमि और एस.ओ. के तहत अधिसूचित भूमि। रेलवे अधिनियम, 1989 के अध्याय IV की धारा 20ए की उपधारा (1) के तहत जारी दिनांक 16.06.2025 के अनुसार, जिसे 2008 में संशोधित किया गया था, कर्नाटक राज्य में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् "क्यात्संद्रा - तुमकुर @ Ch: 65/300-400 (बद्दीहल्ली रोड, फायर स्टेशन के पास, क्यात्संद्रा गांव) में एलसी संख्या 38 के स्थान पर आरओबी का निर्माण" के निष्पादन के लिए अधिग्रहित की जाएगी।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग पर आपत्ति उठा सकता है:

प्रत्येक ऐसी आपत्तियां सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तुमकुर - रायदुर्गा रेलवे परियोजना, तुमकुर को बद्दीहल्ली गेट पर एलसी संख्या 38 के लिए लिखित रूप में की जाएंगी और उसके आधार बताए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को सुनवाई का अवसर देगा, या तो व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी

द्वारा, और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और ऐसी आगे की जांच करने के बाद, यदि कोई हो, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आपत्तियों को अनुमति दे सकता है या अस्वीकार कर सकता है;

सक्षम प्राधिकारी ने भूस्वामियों को 20डी नोटिस जारी किया और आपत्तियों के लिए 30 दिन का समय दिया और 25.07.2025 को सुनवाई हुई। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई और कोई भी भूस्वामी आपत्ति सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ।

उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उपधारा (2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा;

इस 20ई अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की भूमि योजनाएं और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

जिला: तुमकुरु

तालुक: तुमकुरु

होबली: कसाबा

गांव: देवरायपट्टण

(क्यथसंद्रा क्षेत्र)

क्र. सं.	स. सं.	लाभार्थी	विस्तार (एकड़ - गुंटा में)				भूमि का वर्गीकरण
			कुल (ए-गुं)	ए खरब (ए-गुं)	बी खरब (ए-गुं)	शेष (ए-गुं)	
1.	104/2	महानिदेशक, कर्नाटक राज्य अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग	0-07	-	-	0-07	शुष्क
2.	105	सरकारी भूमि	0-06	-	0-06	-	सरकारी भूमि
3.	107/2	के. एस. शांतैय्या	0-13	-	0-00 1/4	0-12 3/4	शुष्क
4.	107/3	के. एस. शांतैय्या, गंगाम्बिका पत्नी स्वर्गीय उमेश (संयुक्त)	0-02	-	-	0-02	शुष्क
			कुल	0-28	-	0-06 1/4	0-21 3/4
							-

[फा. सं. डब्ल्यू. 271/नि/बं छा/2025-26/भूमि वि रे प/1727]

प्रदीप पुरी, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-III

MINISTRY OF RAILWAYS
(SOUTH WESTERN RAILWAY CONSTRUCTION ORGANISATION)
NOTIFICATION

Bengaluru, 11th September, 2025

S.O. 4155(E).— In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 20E of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Ministry of Railway (South Western Railway, Construction Organization, Bengaluru Cantonment) after being satisfied with the report of Competent Authority and Special Land Acquisition Officer, Tumkur vide his office communicated hereby declares that the lands described and shown in the following schedule and notified under S.O. 2698(E) dated 16.06.2025 issued under sub-section (1) of Section 20A of chapter IVA of Railway Act, 1989 amended in 2008, shall be acquired for executing the Special Railway Project namely “Construction of ROB in lieu of LC No. 38 at Kyatsandra - Tumkur @ Ch: 65/300-400 (Baddihalli road, near fire station, Kyatsandra Village)” in the State of Karnataka.

Any person interested in the said land may, within 30 days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of 20D of the said Act:

Every such objections shall be made to the ‘Competent Authority’, namely, Special Land Acquisition Officer, Tumkur - Raydurga Railway Project, Tumkur for LC No. 38 at Baddihalli Gate in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

The Competent Authority issued 20D Notice to the Land Owners and provided 30 Days period for objections and the hearing conducted on 25.07.2025. No objections were received and no land owners attended for objection hearing.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this 20E notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid Office of the Competent Authority.

SCHEUDLE

District: Tumakuru

Taluk: Tumakuru

Hobli: Kasaba

Village: Devarayapattana

(Kyathsandra Area)

Sl. No.	Sy. No.	Beneficiary	Extent (in Acres - Gunta)				Classification of land
			Total (A-G)	A Kharab (A-G)	B Kharab (A-G)	Balance (A-G)	
1.	104/2	Director General, Karnataka State Fire and	0-07	-	-	0-07	Dry

		Emergency Services Department					
2.	105	Govt. Land	0-06	-	0-06	-	Govt. Land
3.	107/2	K. S. Shanthaiah	0-13	-	0-00 1/4	0-12 3/4	Dry
4.	107/3	K. S. Shanthaiah, Gangambika W/o Late Umesh (Joint)	0-02	-	-	0-02	Dry
Total			0-28	-	0-06 1/4	0-21 3/4	-

[F. No. W.271/CN/BNC/2025-26/Land SRP/1727]

PARDEEP PURI, Chief Engineer-III/Construction